



जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश शासन

आकांक्षा योजना

उपयोगकर्ता पुस्तिका

विवरणिका

1. पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश.....	2
1.1. योजनाकास्वरूप.....	2
1.2. निर्धारितयोग्यता	2
1.3. आवश्यकशर्ते.....	2
1.4. आवेदनकीप्रक्रिया.....	3
1.5. योजनाअंतर्गतउपलब्धसुविधायें	3
1.6. चयन प्रक्रिया.....	3
2. प्रक्रिया का सचित्र वर्णन.....	4

1. पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश:

1.1. योजना का स्वरूप

मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग की योजना अनुसार, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई, नीट/ एम्स, क्लेट) की तैयारी हेतु कोचिंग दिये जाने का लक्ष्य है।

प्रथम वर्ष 2018-19 में कक्षा 11 वीं में अध्ययन के साथ साथ प्रत्येक कोचिंग सेंटर पर इंजीनियरिंग हेतु 100 एवं मेडिकल हेतु 50 एवं क्लेट हेतु 50 कुल 200 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जावेगी। आगामी वर्ष में कक्षा 12 वीं में उक्त बेच को निरन्तर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

1.2. निर्धारित योग्यता

1. विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS में प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।
3. आवेदक के माता – पिता / अभिभावक /स्वयं की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू 0 6.00 लाख से अधिक न हो।
4. विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने की पात्रता हो।
5. कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकां की मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का कोचिंग हेतु चयन किया जावेगा।

1.3. आवश्यक शर्तें

1. बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य हैं।
2. आवेदक का डिजिटल जातिप्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
3. विद्यार्थी का कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक हो।

1.4. आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदक को सर्वपथम विभाग की वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS में अपना प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
2. तत्पश्चात निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना "आकांक्षा" वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवेदन में वांछित जानकारी भरकर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे।

1.5. योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधायें

कोचिंग के साथ-साथ आवास की सुविधा तथा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में शिक्षण की सुविधा।

1.6. चयन प्रक्रिया

संबंधित कोचिंग संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी, कोचिंग हेतु इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार स्वीकृत सीट अनुसार एम्पेनल्ड कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

2. प्रक्रिया कासचित्र वर्णन

1. सर्वप्रथम विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन सेवाएं पर क्लिक करें।

The screenshot shows the homepage of the Tribal Department of Madhya Pradesh. At the top, there is a navigation bar with the text 'जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश' (Tribal Department Madhya Pradesh) and a search bar. Below this is a main menu with several options: 'हमारे बारे में', 'संबंधित और प्रस्ताव', 'आर्काशा', 'विकास', 'नियम एवं अधिनियम', 'संकेत स्प्रेड', 'गैलरी', and 'ऑनलाइन सेवाएं'. The 'ऑनलाइन सेवाएं' option is circled in red. A callout box with a black border and white background points to this menu item with the text: 'सर्व प्रथम विभाग की वेबसाइट (www.tribal.mp.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन सेवाएं पर क्लिक करें।' Below the menu, there is a section titled 'हमारे बारे में' (About Us) with a paragraph of text and a 'जोड़ें' (Add) button. To the right, there are two profile cards for officials: 'माननीय मुख्यमंत्री का सचिव' (Secretary to the Chief Minister) and 'माननीय मंत्री का सचिव' (Secretary to the Minister). At the bottom, there is a grid of service icons: 'संबंधित कार्य', 'संकेत स्प्रेड', 'परिचय', 'बट', 'समाचार प्रसारण', 'सूचना प्रसारण', 'संकेत स्प्रेड', and 'रिपोर्ट'.

2. प्रोफाइल पंजीयन के पश्चात् प्राप्त यूजर नाम एवं पासवर्ड से मध्य प्रदेश ट्राइबल पोर्टल में लॉग इन करें।

English



जनजातीय कार्य विभाग
मध्य प्रदेश शासन

लॉगिन

[फॉरगोट पासवर्ड ? / फॉरगोट यूजर आईडी ?](#)

*यूजर आईडी

*पासवर्ड

506926 [↻](#)

*कैप्चा कोड यहाँ दर्ज करें

लॉगिन

अकाउंट नहीं है? नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण
उपयोगकर्ता पुस्तिका


महत्वपूर्ण लिंक

- » हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण वीडिओ
- » डिजिटल जाति प्रमाण पत्र में जन्मतिथि जांचने हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका
- » बायोमेट्रिक मशीन उपयोगकर्ता पुस्तिका MORPHO
- » बायोमेट्रिक मशीन उपयोगकर्ता पुस्तिका Cogent CSD220
- » बायोमेट्रिक मशीन उपयोगकर्ता पुस्तिका MANTRA
- » बायोमेट्रिक मशीन उपयोगकर्ता पुस्तिका Startek FM220
- » ब्राउज़र सेटिंग्स फॉर बायोमेट्रिक मशीन
- » समग्र डाटा में व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका
- » हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण उपयोगकर्ता पुस्तिका

[प्रतिक्रिया](#) | [उपयोग की शर्तें](#) | [गोपनीयता नीति](#) | [अस्वीकरण](#)

आकांक्षा योजना

- लॉग इन करने के उपरांत आपको नीचे दिया गया पटल दिखाई देगा।



- उपरोक्त चित्रानुसार, बायीं तरफ दिखाये गए 'Apply' आप्शन पर क्लिक करें।
- 'Apply' आप्शन पर क्लिक करने के पश्चात्, स्क्रीन पर आकांक्षा योजना सम्बंधित नियम/ निर्देशपुस्तिका दिखाई जाएगी। आगे बढ़ने हेतु आपको 'मेरी सहमति' बटन पर क्लिक कर स्वीकृत करना है।

आकांक्षा योजना

आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल (म०प्र०)
वेबसाईज - www.tribal.mp.gov.in e-mail shiksha.ctd@mp.gov.in

निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना "आकांक्षा" वर्ष 2018-19 योजना से संबंधित नियम/निर्देश पुस्तिका

योजना का स्वरूप :-
मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग की योजना अनुसार, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं खालिपर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (जे ई ई, नोट/एम्स/क्वेट) की तैयारी कोचिंग विद्ये जाने का लक्ष्य है। प्रथम वर्ष 2018-19 में कक्षा 11 वीं में अध्ययन के साथ-साथ प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर इंजीनियरिंग हेतु 100 एवं मेडिकल हेतु 50 एवं क्वेट हेतु 50 कुल 200 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जावेगी। आगामी वर्ष में कक्षा 12 वीं में उक्त बेच को निरन्तर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निर्धारित योग्यता :-

1. विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।
3. आवेदक के माता-पिता/अभिभावक/स्वयं को समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹0 6.00 लाख से अधिक न हो। शासकीय सेवकों के पुत्र/पुत्री, उनके कार्यालय से जारी फार्म-16 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य अभ्यर्थी स्व आय घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने की पात्रता हो।
5. कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का कोचिंग हेतु चयन किया जावेगा।

आवश्यक शर्तें :-

1. बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
2. आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
3. विद्यार्थी का कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक हो।

आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदक को सर्वप्रथम विभाग की वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS में अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
2. तत्पश्चात निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना "आकांक्षा" वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवेदन में वांछित जानकारी भरकर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधायें :-
कोचिंग के साथ-साथ आवास सुविधा एवं कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में शिक्षण की सुविधा।

चयन प्रक्रिया :-

1. संबंधित कोचिंग संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी, कोचिंग हेतु इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार स्वीकृत सीट अनुसार एम्प्लेन्ड कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

मेरी सहमति

6. सहमति प्रदान करने के पश्चात् आकांक्षा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर १०वीं एम. पी. बोर्ड परीक्षा का रोल नंबर अंकित कर के "विवरण प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।

टिपणी: उत्तीर्ण वर्ष एवं जन्म की तारीख सिस्टम द्वारा क्रमशः MPBSE डेटाबेस एवं आपकी प्रोफाइल से स्वतः प्राप्त की गयी सुचना है; जिन्हें अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

7. विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करने के उपरांत दर्ज रोल नंबर से सम्बंधित १०वीं कक्षा की जानकारी दिखाई देगी तथा कोर्स एवं स्थान की वरीयता चुनने हेतु विकल्प सक्रिय होंगे।

Madhya Pradesh Tribal Affairs Automation System
Department of Tribal Affairs

Test User
Online
Akanksha Yojna

हेल्पबोर्ड > आकांक्षा आवेदन

आकांक्षा योजना

* के साथ चिह्नित फ़ील्ड भरने के लिए अनिवार्य है

10 वीं एम.पी.बोर्ड परीक्षा रोल नंबर *

उत्तीर्ण वर्ष *

2018-19

जन्म की तारीख *

22/08/2000

विवरण प्राप्त करें

रीसेट करें

सबमिट

दसवीं कक्षा का रोल नंबर दर्ज करें

8. "कोर्स नाम" ड्रॉप डाउन द्वारा निम्नलिखित में से एक का चयन करें:

- JEE (Engineering हेतु)
- CLAT(Law हेतु)
- AIIMS/ NEET-(Medical हेतु)

आकांक्षा योजना

*Course Name
Select Course

Location Preference

भोपाल	01	02	03	04	NP
इंदौर	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ग्वातिपर	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
जबलपुर	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Reset Submit

- लोकेशन प्राथमिकता देने हेतु कोचिंग के शहर की वरीयता चुनें। उदाहरण के लिए भोपाल शहर को पहली प्राथमिकता के लिए 01, इंदौर को दूसरी देने के लिए 02 तथा अन्य शहर को कोई प्राथमिकता नहीं देने के लिए np यानि कोई प्राथमिकता नहीं चुनें। एप्लीकेशन सबमिट करें।
- जानकारी सबमिट करने, स्वीकृती के बाद आपको एप्लीकेशन द्वारा आपको नीचे दिखाए अनुसार जानकारी दिखाई जाती है जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं।

School Name	Percentage	Cast
GOVT M L B GIRL'S H S SCHOOL, NAPIER TOWN JABALPUR	60	ST

Application Numer	10/2018/00003
Roll Number	187199036
Preference 1	Bhopal
Preference 2	Indore
Preference 3	NP
Preference 4	NP

OK Print

- प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको जानकारी भेजी जाएगी।

3.10 आकांक्षा योजना

1. परिचय :-

अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं जिन्होंने कक्षा 10 वीं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई., नीट/एम्स,क्लेट) की तैयारी हेतु 04 संभागीय मुख्यालयों जबलपुर, इन्दौर, भोपाल एवं ग्वालियर में द्विवर्षीय कोचिंग दिये जाने हेतु आकांक्षा योजना संचालित है। योजना अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग सेंटर पर इंजीनियरिंग हेतु 100 एवं मेडिकल हेतु 50 एवं क्लेट हेतु 50 कुल 800 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जावेगी।

2. पात्रता :-

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो ।
2. आवेदक के माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू 06.00 लाख से अधिक न हो। शासकीय सेवकों के पुत्र/पुत्री, उनके कार्यालय से जारी फार्म-16 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य अभ्यर्थी स्व-आय घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे ।
3. विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने की पात्रता हो ।
4. कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का कोचिंग हेतु चयन किया जावेगा ।

3. आवश्यक शर्तें :-

1. बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य हैं ।
2. आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है ।
3. विद्यार्थी का कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से अधिक हो।

4. प्रक्रिया

1. आवेदक को विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS में अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात संबंधित योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा ।
2. संबंधित कोचिंग संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी, कोचिंग हेतु इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन करना होगा ।
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर स्वीकृत सीट अनुसार एम्पेनल्ड कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रवेश दिया जावेगा ।

5. योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधायें :-

1. शासन नियमानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देय होगी ।
2. कोचिंग के साथ-साथ आवास सुविधा एवं कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में शिक्षण की सुविधा ।

6. सम्पर्क :-

जिला स्तर:- सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग

संभाग स्तर:- संभागीय उप आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश ।

मुख्यालय स्तर:- आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश ।

--००--